मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग

ऊर्जा भवन,शिवाजी नगर, भोपाल–462016

: अधिसूचना :

भोपाल, दिनांक 12 जुलाई, 2005

क्रमांक 1662 – म.प्र. वि.नि.आ. – 05–विद्युत अधिनियम 2003 (वर्ष 2003 का क्रमांक 36) के द्वारा धारा 43 (1) सहपठित धारा 181 (2) (टी), धारा 44, धारा 46 सहपठित धारा 181 (आई), धारा 47 (1) सहपठित धारा 181 (वी), धारा 47 (4) सहपठित धारा 181 (डब्लू), धारा 47 (2, 3 एवं 5), धारा 48 (बी), धारा 50 सहपठित धारा 181 (2) (एक्स) तथा धारा 56 एवं मध्यप्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम 2000 (वर्ष 2001 का क्रमांक 4) की धारा 9 (जे) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा क्रमांक 861/विनिआ/04 दिनांक 27 मार्च, 2004 द्वारा अधिसूचित मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2004 में निम्नानुसार संशोधन/परिवर्धन करता है ।

विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 में संशोधन

कथित विनियमों में :–

I विनियम 3.4 में :

(i) 230 वोल्ट हेतु कालम उच्चतम संविदा मांग के अन्तर्गत शब्द ''2 किलोवॉट'' को '' 3 किलोवाट'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए ।

(ii) 33 के व्ही हेतु न्यूनतम संविदा मांग के अन्तर्गत शब्द ''60 के व्ही ए'' को ''300 के व्ही ए'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए ।

(iii) 33 के व्ही हेतु उच्चतम संविदा मांग के अन्तर्गत शब्द ''8000 के व्ही ए'' को ''10,000 के व्ही ए'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए ।

II विनियम 4.2 में :

(i) विनियम के अन्तिम वाक्य, यथा, ''इस लागत के एक भाग की पूर्ति उपभोक्ताओं से, आयोग द्वारा समय–समय पर अनुमोदित प्रणाली सशक्तिकरण/कैपेसिटी बिल्डिंग चार्ज, बिल्डिंग चार्ज, यदि कोई हो तो, के द्वारा की जायेगी'' को विलोपित किया जाए ।

III विनियम 4.6 में :

(i) विनियम के अन्तिम वाक्य, यथा ''ऐसे प्रकरण में जहां इन प्रभारों को अनुमोदित नहीं किया गया है, उपभोक्ता सर्विस कनेक्शन विस्तार का वास्तविक व्यय वहन करेगा'' को विलोपित किया जाए ।

IV विनियम 4.31 में :

(i) विनियम, यथा, ''डेवलपर/बिल्डर/समिति/उपभोक्ता, आयोग द्वारा अनुमोदित ''सिस्टम स्ट्रेग्थनिंग चार्जेस (प्रणाली सुदृढ़ीकरण प्रभार)/कैपेसिटी बिल्डिंग चार्जेस, यदि कोई हो तो, का भुगतान भी करेगा'' को विलोपित किया जाए ।

V विनियम 4.32 में :

(i) विनियम के प्रथम वाक्य में शब्दों ''आवश्यक क्षमता के 33/11 केव्ही उपकेन्द्र तथा'' को विलोपित किया जाए ।

(ii) विनियम का अन्तिम वाक्य, यथा, ''ऐसे प्रकरणों में ''डेवलपर/बिल्डर/समिति/ उपभोक्ता को सिस्टम स्ट्रेग्थनिंग चार्जेस (प्रणाली सुदृढ़ीकरण प्रभार) या कैपेसिटी बिल्डिंग चार्जेज यदि कोई हो, का भुगतान 'शेड्यूल आफ मिसलेनियस चार्जेज में अनुमोदित प्रक्रिया अनुसार करना होगा। '' को ''नवीन/आवर्धन के 33/11 केव्ही विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण की लागत यदि आवश्यक हो, तो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वहन की जावेगी ।'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए ।

VI विनियम 4.38 में :

(i) विनियम के द्वितीय वाक्य में शब्द ''विद्यमान'' के उपरांत, शब्द ''11 के व्ही/0.4 केव्ही'' को अर्न्तस्थापित (Insert) जाए ।

(ii) विनियम का अन्तिम वाक्य यथा ''तथापि सिस्टम स्ट्रेग्थनिंग चार्जेस/कैपेसिटी बिल्डिंग चार्जेज, यदि कोई हो तो केवल नवीन कनेक्शनों या अतिरिक्त भार हेतु भुगतान योग्य होंगे'' को विलोपित किया जाए ।

VII विनियम 4.39 में :

(i) विनियम के प्रथम पैरा के प्रथम वाक्य में शब्द ''वितरण'' से पूर्व शब्द ''सिस्टम स्ट्रेग्थनिंग चार्जेस/कैपेसिटी बिल्डिंग चार्जेज, (प्रणाली सुदृढ़ीकरण प्रभार) की गणना एवं'' को विलोपित किया जाए ।

(ii) विनियम के अन्त में निम्न पैरा जोड़ा जाता है । यथा ''मध्यप्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पुर्नवास/पुर्नव्यवस्थापन के उद्देश्य से विकसित बहु–उपभोक्ता परिसरों को उपरोक्त प्रावधानों में भार संबंधी गणना के प्राक्कलन से छूट दी जावेगी । ऐसे बहु–उपभोक्ता परिसरों हेतु भार पर विचार आवेदक द्वारा आवेदित भार के आधार पर किया जाए ।''

VIII विनियम 4.41 में :

(i) विनियम के प्रथम पैरा के अन्तिम वाक्य के शब्द, यथा ''तथा आयोग द्वारा अनुमोदित सिस्टम स्ट्रेग्थनिंग चार्जेस (प्रणाली सुदृढ़ीकरण प्रभार) /कैपेसिटी बिल्डिंग प्रभार यदि कोई हो को भुगतान करना होगा ।'' के स्थान पर शब्द ''तथा नवीन/आवर्धन के 33/11 केव्ही विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण की लागत, यदि आवश्यक हो, तो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वहन की जावेगी'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए ।

(ii) विनियम का द्वितीय पैरा, यथा ''यदि विद्यमान 33/11 केव्ही उपकेन्द्र की क्षमता में वृद्धि कर आवासीय कालोनी को विद्युत आपूर्ति किया जाना संभव नहीं हो अथवा आवासीय कालोनी का भार 2150 किलोवॉट से अधिक हो तो सिस्टम स्ट्रेन्थनिंग चार्जेस (प्रणाली सुदृढ़ीकरण प्रभार)/केपेसिटी बिल्डिंग चार्जेस के बदले डेवलपर/बिल्डर /समिति/ उपभोक्ता को कालोनी हेतु आवश्यक 33 के.व्ही. लाइन एवं वांछित क्षमता के 33/11 के. व्ही. उपकेन्द्र की लागत वहन करनी होगी । ऐसे प्रकरणों में उपभोक्ता को प्रणाली सुदृढ़ीकरण प्रभार/कैपेसिटी बिल्डिंग प्रभार, आयोग द्वारा अनुमोदित विभिन्न प्रभारों की सूची में दर्शाई प्रक्रियानुसार, भुगतान करना होगा । '' को विलोपित किया जाए ।

IX विनियम 4.42 में :

(i) विनियम के प्रथम पैरा में शब्द ''प्रयोजन से,'' के उपरांत शब्द '' सिस्टम स्ट्रेग्थनिंग चार्जेस (प्रणाली सुदृढ़ीकरण प्रभार) /कैपेसिटी बिल्डिंग चार्जेज की गणना एवं'' को विलोपित किया जाए ।

(ii) विनियम की तालिका में पंक्ति ''(ज) 3000 वर्ग फीट से 3500 वर्गफीट तक 10.0 किलो वॉट'' के बाद निम्नलिखित पंक्ति,

''क्षेत्रफल	**भार**
3500 वर्ग फीट से अधिक प्रत्येक 500 वर्गफीट हेतु	1 किलो वॉट''

को अर्न्तस्थापित किया जाए ।

(iii) विनियम में, द्वितीय पैरा के शब्द, यथा, ''नवीन आकलन के अनुसार भुगतान योग्य अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो तो उसका भुगतान करने हेतु ''डेवलपर/बिल्डर/समिति/ उपभोक्ता बाध्य होंगे'' को विलोपित किया जाए ।

(iv) विनियम के द्वितीय पैरा के अन्तिम वाक्य के शब्द ''होगा'' के उपरांत शब्द, यथा, '',कतिपय 33/11 केव्ही विद्युत उपकेन्द्र के नवीन/आवर्धन के निर्माण की लागत को छोड़कर । 33/11 केव्ही विद्युत उपकेन्द्र के नवीन/आवर्धन के निर्माण की लागत अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वहन की जावेगी ।'' को जोड़ा जाए ।

(v) विनियम के अन्तिम पैरा में शब्द ''प्रक्रिया'' के उपरांत शब्दों ''प्रभारों की गणना तथा'' को विलोपित किया जाए ।

(vi) विनियम के अन्त में निम्न पैरा जोड़ा जावेगा, यथा ''मध्यप्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पुर्नवास/पुर्नव्यवस्थापन के उद्देश्य से विकसित कालोनियों को उपरोक्त प्रावधानों में भार संबंधी गणना के प्राक्कलन से छूट दी जावेगी । ऐसी कालोनियों हेतु भार पर विचार आवेदक द्वारा आवेदित भार के आधार पर किया जाए ।''

IX विनियम 4.54 में :

विनियम में प्रथम वाक्य के उपरांत निम्न वाक्य यथा, ''अस्थाई संयोजन की समय–अवधि को भवन निर्माण गतिविधियों तथा औद्योगिक उपभोक्ताओं द्वारा उनकी इकाईयां स्थापित किये जाने के प्रयोजन से उपकरणों की संस्थापना हेतु दो वर्षों के लिये बढ़ाया जा सकेगा'' अर्न्तस्थापित किया जाए ।

XI विनियम 5.2 में :

(i) विनियम के अन्तिम वाक्य के शब्दों, यथा ''प्रकरणों की'' के उपरांत शब्दों, यथा, ''उपभोक्ता श्रेणीवार'' को अर्न्तस्थापित किया जाए ।

(ii) विनियम के अन्तिम वाक्य में शब्द, ''वार्षिक'' को शब्द, यथा ''अर्द्ध–वार्षिक'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए ।

XII विनियम 6.23 में :

(i) विनियम के प्रथम वाक्य में, शब्द ''उपभोक्ता'' के उपरांत शब्द, यथा, ''रेलवे ट्रेक्शन को छोड़कर'' अर्न्तस्थापित किया जाए ।

(ii) विनियम के प्रथम वाक्य के उपरांत निम्न वाक्य, यथा, ''रेलवे ट्रेक्शन उपभोक्ता पावर फेक्टर 85 प्रतिशत तथा उससे अधिक संधारित करेंगे'' अर्न्तस्थापित किया जाए ।

(iii) विनियम के अन्तिम वाक्य में, शब्द ''विद्युत प्रदाय'' के उपरांत ''रेलवे तथा कोयला खदानें संबंधी उपभोक्ताओं को छोड़कर ''अर्न्तस्थापित किया जाए ।

XIII विनियम 6.38 में :

(i) विनियम के द्वितीय वाक्य में शब्दों, ''उपभोक्ता यदि उसके परिसर का वर्तमान संबंद्ध भार अनुबंधित भार से भिन्न हो तो इस प्रपत्र में वर्तमान सम्बद्ध भार का विवरण दर्ज कर अनुज्ञप्तिधारी को भार परिवर्तन हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के लिये प्रस्तुत करेगा ।'' के स्थान पर शब्द, यथा, ''उपभोक्ता प्रपत्र को भरकर अनुज्ञप्तिधारी के संबंद्ध कार्यालय में एक माह के अन्दर वापस जमा कर सकता है । यदि उपभोक्ता प्रपत्र को निर्दिष्ट अवधि में जमा नहीं करता, ऐसी दशा में अनुज्ञप्तिधारी ऐसे परिसरों के निरीक्षण हेतु स्वतंत्र होगा तथा भार का निर्धारण कर उपभोक्ता को तद्नुसार सूचित करेगा । यदि भार निविदा मांग से अधिक पाया जाता है, ऐसी दशा में अनुज्ञप्तिधारी नियमों एवं विनियमों के अनुसार अग्रिम कार्यवाही करेगा ।'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए ।

XIV विनियमों 7.28 से 7.36 :

विनियम के अध्याय – 7 में विनियम 7.28 से 7.36 में दर्शाये गये विनियमों को ''प्रतिभूति निक्षेप : उपभोक्ताओं से संबंधित प्रतिभूति निक्षेप को म.प्र. विद्युत नियामक आयोग (प्रतिभूति निक्षेप) विनियम, 2004 द्वारा नियंत्रित किया जावेगा ।'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए ।

XV विनियम 8.7 में :

(i) विनियम के प्रथम वाक्य में शब्द, ''बाहर'' के उपरांत शब्द, यथा, ''भवन में तथा सीमा–दीवार (बाउंड्रीवाल) के अन्दर'' अर्न्तस्थापित किया जाए ।

(ii) विनियम के प्रथम वाक्य के शब्द ''परिसर'' के उपरांत शब्द, यथा, ''यदि वह विद्यमान है'' अर्न्तस्थापित किया जाए ।

XVI विनियम 9.2 में :

(i) विनियम के प्रथम वाक्य में शब्द ''परिचय–पत्र'' के उपरांत शब्द, यथा, '', जो उनकी वर्दी पर इस प्रकार पिन किये जावेंगे ताकि उन्हें प्रत्यक्ष रूप देखा जा सके'' अर्न्तस्थापित किया जाए ।

XVII विनियम 11.2 में :

(i) विनियम के तृतीय वाक्य में शब्दों ''60 (साठ) दिवस'' के स्थान पर शब्द ''30 (तीस) दिवस'' प्रतिस्थापित किया जाए ।

यह संशोधन मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा ।

आयोग के आदेशानुसार

अशोक शर्मा, उपसचिव